राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, भीलवाड़ा

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **44/2023 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री शोभागमल कुमावत निवासी भीलवाड़ा	**बनाम**	सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा
––अपीलार्थी		––प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :– प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि।

निर्णय

दिनांक : 11-09 .2023

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 06.07.2023 को प्राप्त हुई जिसमें अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क राशि के पोस्टल ऑर्डर के साथ एक आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा को दिनांक 26.05.2023 को प्रेषित किया, किन्तु आवेदन पत्र से वांछित सूचना कार्यालय तहसीलदार, भीलवाड़ा से संबंधित होने से लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा उक्त आवेदन पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा को दिनांक 31.05.2023 को अंतरित किया गया।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 18.07.2023 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा कार्यालय के पत्रांक 114 दिनांक 18.08.2023 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं :–

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही गयी सूचना तैयार कर कार्यालय तहसीलदार, भीलवाड़ा के भू–अभिलेख अनुभाग द्वारा प्रार्थी को उपलब्ध करा दी गई है, जिसकी प्राप्ति रसीद प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षर कर दी गई है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करा दिये जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 11-09 .2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा